न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2024

(GCMS 2024/4)(212574066295097)

श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दस गोयल, उम्र लगभग 74 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2023 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने उसे आज दिनांक तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसलिए उसने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करके सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2023 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत तथाकथित निरस्तीकरण दस्तावेज दिनांक 11.04.2000 गंगा देवी पत्नी भगवान दास निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम राधेश्याम की 2 प्रमाणित प्रतियां जो 30/- के स्टाम्प पर निष्पादित है व स्टाम्प 30/- रूपये का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

महेन्द्र स्टाम्प वेण्डर महेन्द्र छाबड़ा द्वारा जारी किया गया है व सुभाष को (गंगा देवी के स्थान पर)जारी किया गया है। स्टाम्प सहित तथाकथित निरस्तीकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाहिये।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2024/103 दिनांक 19.01.2024 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 13.10.2023 का प्रार्थना पत्र दिनांक13.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचना चाही गयी थी जिस हेतु प्रार्थी का सूचना प्रदान करने से पूर्व निर्धारित 2/— रूपये प्रति पृष्ठ से कुल पृष्ठ 14 के हिसाब से कुल 28/— रूपये शुल्क जमा करवाने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा अपेक्षित शुल्क कैशियर कलैक्ट्रेट, में दिनांक 18.10.2023 को जमा करवाने के उपरान्त दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी ने स्वयं दिनांक 20.10.2023 को इस कार्यलय की आदेशिका में हस्ताक्षर कर सूचना प्राप्त की, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। अतः प्रथम अपील अब पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

संलग्नः उक्तानुसार।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि **प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा** दिनांक 20.10.2023 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी स्वयं ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त आदेशिका की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त का चुका है। इसलिए **प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए** अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested